न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2017 राजस्व अपील

1. पांचू पुत्र गेन्दा
2. रामखिलाडी पुत्र गेन्दा

} जाति गुर्जर निवासी दिवाकर तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 16.09.2016 न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय प्रकरण उनवानी सरकार बनाम छाज्या, पांच्या आदि प्रकरण सं. 302/2016 धारा 91 एलआरएक्ट ।

उपस्थिति : श्री रमेश खण्डेलवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 20.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अप्रार्थी छाज्या, पाचू व रामखिलाडी पि. गेन्दा द्वारा ग्राम दिवाकर उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 201 रकबा 0.13 है0 गैर मुमकिन शमशान पर संवत 2073 में फसल खरीफ में बाजरा काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही निर्णय एकतरफा में पारित कर अवैध तरीके से 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 16.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी गै. मु. शमशान भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के समक्ष ना तो भूमि का मौका देखा न ही मौका रिपोर्ट बनाई और पटवारी से जिरह का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सजा देने का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नही है। रिपोर्ट पटवारी प्रदर्शित नही हुई है, जबकी रिपोर्ट प्रदर्शित होना अवश्यक है। रिपोर्ट पटवारी साक्ष्य में ग्रहण नही कि जा सकती। निर्णय जैर अपील एकतरफा में अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 16.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम दिवाकर उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 201 रकबा 0.13 है0 गैर मुमकिन शमशान पर संवत 2073 में फसल खरीफ में बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.09.2016 को बेदखल करने व 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स को जारी नोटिस लेने से मना किया, नोटिस की प्रति उनके खुले मकान पर चस्पा की गई है। पटवारी हल्का के बयान के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2072 में भी उक्त खसरा नंबर 201 गैर मुमकिन शमशान पर अतिक्रमण कर काश्त करना व्यक्त किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होते है। अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2073 में भी उक्त गैर मुमकिन शमशान भूमि पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण किया है जिसपर 14.10.16 को फसल कब्जे में राज ली जाकर 24.10.16 को फसल नीलामी की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रसतुत अपील खारिज की जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 16.09.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा